अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण **"मुद्रित प्रतियॉ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"**

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

m.note

क्रम-संख्या–115(छ–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 2020
श्रावण 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 790 / ग्यारह-2–20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(131)-2020

लखनऊ, 29 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–513

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इकतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह 27 मई 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 26 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 26 के उपनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात:-

	"परंतु यह और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है: परंतु यह भी कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 27 मई, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के ब्यौरे को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 790/XI-2–20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(131)-2020, dated July 29 , 2020:

No. 790/XI-2–20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(131)-2020

Dated Lucknow, July 29, 2020

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (FORTY FIRST AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Fourty first Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 27 May, 2020.

Amendment of rule 26

2-In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 26, in sub-rule (1), for the second proviso, following provisos shall be *substituted*, namely: -

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC):

Provided also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 27thday of May, 2020 to the 30th day of September, 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under section 37 in **FORM GSTR-1** verified through electronic verification code (EVC)."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 607 राजपत्र–2021–(1215)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 64 सा0 राज्य कर–2021–(1216)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
607 Rph rajya kar anu-2-2021 data-8 (GST folder-2020)